छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 56/76/विज्ञापन/2009 — रायपुर, दिनांक 17/04/2009

शुद्धि पत्र क्रमांक 01/2009/परीक्षा/दिनांक 17/04/2009

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, के विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग पत्रों के आधार पर **"राज्य सेवा परीक्षा–2008"** के लिए **कुल रिक्त पद – 324** की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 10/2008/परीक्षा/दिनांक 20.09.2008 जारी किया गया था, जिसका **"**रोजगार और नियोजन**"** के विशेषांक दिनांक 22.09.2008 में प्रकाशन हुआ था। उक्त विज्ञापन के पैरा–तीन के टीप क्रमांक–2 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

"विज्ञापन की पैरा–3 में उल्लेखित पदों की संख्या एतद पश्चात् समय–समय पर शासन से प्राप्त सूचना/जानकारी के आधार पर परिवर्तनीय होगी एवं उक्त स्थिति में विज्ञापित पदों के अलावा परीक्षा नियम–2008 के नियम–1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों की रिक्तियों की सूचना चयन के पूर्व किसी भी चरण में आयोग द्वारा इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धि–पत्र द्वारा प्रकाशित की जायेगी एवं ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेगें बल्कि इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।"

2/ आयोग द्वारा प्रसारित उपर्युक्त विज्ञापन के तारतम्य में राज्य शासन के विभागों द्वारा नीचे दर्शाये अनुसार सेवा एवं पदों की संख्या में जोड़े जाने/वृद्धि एवं संशोधन किए (To Add/Increase/Amend) जाने हेतु नीचे विवरण में अंकित अनुसार मांग–पत्र/प्रस्ताव भेजा है :–

2.1 छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग ने पत्र क्र. 1558/1655/2008/स्था./चार, दिनांक 24.11.2008 के द्वारा **लेखा अधिकारी** के 59 पद, वाणिज्यिक कर विभाग ने पत्र क्र. एफ–6–229/2008/वाक/पांच दिनांक 07.02.2009 द्वारा **वाणिज्यिक कर अधिकारी** के 12 पद एवं पत्र क्र. एफ–6–230/2008/वाक/पांच दिनांक 07.02.2009 के द्वारा **वाणिज्यिक कर निरीक्षक** के 61 पदों पर चयन किए जाने हेतु मांग–पत्र/प्रस्ताव प्रेषित किया है, जिसका वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				(स) विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद		योग
		अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लेखा अधिकारी वित्त एवं योजना विभाग	31	09	10	09	09	03	03	03	03 अना. 01 अ.पि.व.	–	59
2	वाणिज्यक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग	07	01	02	02	02	–	–	–	01 अ.जा.	–	12
3	वाणिज्यक कर निरीक्षक वाणिज्यिक कर विभाग	29	11	13	08	09	03	04	02	03 अना. 01 अ.ज.जा. 01 अ.जा. 01 अ.पि.व.	03 अना. 01 अ.ज.जा. 01 अ.जा. 01 अ.पि.व.	61

2.2. छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने पत्र क्र.एफ–6–177/2007/वाक (आब.)/पांच दिनांक 07.02.2009 के द्वारा **जिला आबकारी अधिकारी** के पद पर चयन के लिए पूर्व में 05 पदों के लिए प्रेषित प्रस्ताव के स्थान पर इसे 07 पद किए जाने, पत्र क्र.एफ–6–236/2007/वाक (आब.)/पांच दिनांक 07.02.2009 के द्वारा **आबकारी उपनिरीक्षक** के पद पर चयन के लिए पूर्व में 17 पदों के लिए प्रेषित प्रस्ताव के स्थान पर इसे 25 पद किए जाने एवं विकलांग हेतु आरक्षित 01 पद (अनुसूचित जाति) को विलोपित किये जाने हेतु संशोधित मांग–पत्र/प्रस्ताव भेजा है।

2.3 छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने पत्र क्र. एफ–6–34/2007/ वाक(पं)/पांच दिनांक 28.03.2009 के द्वारा **उप पंजीयक** के पद पर चयन के लिए पूर्व में 03 पदों के लिए प्रेषित प्रस्ताव के स्थान पर इसे 06 पद किए जाने तथा उक्त पद का वेतनमान 4000–100–6000 के स्थान पर 4500–125–7000 किये जाने का प्रस्ताव भेजा है।

पैरा 2.2 एवं 2.3 के प्रस्ताव के अनुसार वित्त एवं योजना विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग के विभिन्न सेवाओं के लिए चयन हेतु पदों की संख्या की स्थिति निम्नानुसार है :–

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				(स) विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद		योग
		अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना–रक्षित	अनु–सूचित जाति	अनु–सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जिला आबकारी अधिकारी वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	04	01	01	01	01	–	–	–	–	–	**07**
2	आबकारी उपनिरीक्षक वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	15	04	04	02	04	01	01	–	–	01 अना.	**25**
3	उप पंजीयक वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	03	01	02	–	01	–	–	–	–	–	**06**

2.4 छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पत्र क्रमांक–एफ–2–12/सात–1/2007 दिनांक 17.11.2008 के द्वारा **नायब तहसीलदार** के पद पर चयन के लिए पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव में दर्शित उक्त पद के वेतनमान 4500–125–7000 के स्थान पर इसे वेतनमान 5000–150–8000 किए जाने एवं विकलांगों के लिए आरक्षित पदों के लिए अनारक्षित श्रेणी में 03 पद के स्थान पर इसे 04 पद किये जाने तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 01 पद के स्थान पर इसे 02 पद किये जाने हेतु मांग–पत्र/प्रस्ताव भेजा है।

2.5 छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग ने पत्र क्रमांक एफ–01–21/2007/स्था/चार दिनांक 20.03.2009 के द्वारा पूर्व में **सहायक संचालक** स्थानीय निधि संपरीक्षा के रिक्त 03 पद की पूर्ति किऐ जाने हेतु प्रेषित मांग–पत्र/प्रस्ताव के संबंध में अब यह अवगत कराया है कि उक्त पदों के लिए चयन की कार्यवाही नहीं किया जाना है। विभाग के इस प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका तीन में उल्लेखित सेवाओं/पदों में से सरल क्र. 6 को विलोपित किया जाना होगा।

(3) इस शुद्धि–पत्र के पैरा–2.1 से 2.5 में दर्शित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा पूर्व में जारी किए गए विज्ञापन क्रमांक 10/2008/परीक्षा/दिनांक 20.09.2008 के कंडिका – तीन की तालिका में दर्शित पद तथा विभाग का नाम, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या एवं रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद तथा विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद की संख्या में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्रमशः

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				(स) विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद		योग
		अना– रक्षित	अनु– सूचित जाति	अनु– सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना– रक्षित	अनु– सूचित जाति	अनु– सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1.	राज्य सिविल सेवा (डिप्टी कलेक्टर) सामान्य प्रशासन विभाग	16	05	04	05	04	01	01	01	–	–	30
2.	उप अधीक्षक पुलिस गृह विभाग	22	06	08	06	02	01	01	–	–	–	42
3.	लेखा अधिकारी वित्त एवं योजना विभाग	31	09	10	09	09	03	03	03	03 अना. 01 अ.पि.व.	–	59
4.	वाणिज्यक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग	07	01	02	02	02	–	–	–	01 अ.जा.	–	12
5.	जिला आबकारी अधिकारी वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	04	01	01	01	01	–	–	–	–	–	07
6.	खाद्य अधिकारी / सहायक संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01	–	01	–	–	–	–	–	–	–	02
7.	सहायक संचालक, जन संपर्क, जन संपर्क विभाग	01	01	02	–	–	–	–	–	–	–	04
8.	सहायक संचालक (जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी) जि.म.बा.वि.वि.	07	02	03	02	02	01	01	01	–	–	14
9.	परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	03	04 (03 बैकलाग)	03 (01 बैकलाग)	01	01	– (01 बैकलाग)	–	–	–	–	11
10.	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी कोष लेखा एवं पेंशन वित्त एवं योजना विभाग	16	06	06	04	05	02	02	01	01 (अना.) 01 (अ.जा.)	01 (अना.) 01 (अ.जा.) 01 (अ.ज.जा.)	32
11.	नायब तहसीलदार राजस्व विभाग	66	20	26	18	20	06	08	05	04 (अना.) 01 (अ.जा.) 02 (अ.ज.जा.) 01 (अ.पि.व)	06 (अना.) 02 (अ.जा.) 03 (अ.ज.जा.) 02 (अ.पि.व)	130
12.	आबकारी उप निरीक्षक वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	15	04	04	02	04	01	01	–	–	01 अना	25
13.	वाणिज्यक कर निरीक्षक वाणिज्यिक कर विभाग	29	11	13	08	09	03	04	02	03 अना. 01 अ.ज.जा. 01 अ.जा. 01 अ.पि.व.	03 अना. 01 अ.ज.जा. 01 अ.जा. 01 अ.पि.व.	61
14.	उप पंजीयक वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	03	01	02	–	01	–	–	–	–	–	06
15.	परिवहन उप निरीक्षक परिवहन विभाग	09	03	03	02	01	–	–	–	–	–	17
16.	सहायक जेलर गृह (जेल) विभाग	07	02	03	02	02	–	01	–	–	–	14
	योग	**237**	**76**	**91**	**62**	**63**	**19**	**22**	**13**	**21**	**23**	**466**

''पदों की संख्या परिवर्तनीय है'' **विकलांग ''अस्थिबाधित'' ही मान्य होगा।**

(4) उपर्युक्त पैरा–3 के अनुसार संशोधन के फलस्वरुप आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 10 / 2008 / परीक्षा / दिनांक 20.09.2008 के कंडिका–तीन की तालिका के स्थान पर शुद्धिपत्र के पैरा–3 में उपरोक्तानुसार दर्शित तालिका में उल्लेखित सेवा एवं पद यथास्थिति प्रतिस्थापित माने जायेंगे।

क्रमशः

(5) उपरोक्तानुसार किए गए संशोधन के फलस्वरुप आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 10/2008/परीक्षा/दिनांक 20.09.2008 की कंडिका–पा**ंच** में **पदों का वेतनमान** निम्नानुसार होगा :– पद क्रमांक – 1 से 8 के लिए रुपये 8000–275–13500/–, पद क्रमांक – 9 के लिए रुपये 5500–175–9000/–, पद क्रमांक – 10 एवं 11 के लिए रुपये 5000–150–8000/–, पद क्रमांक – 12 से 14 के लिए रुपये 4500–125–7000/– एवं पद क्रमांक – 15 एवं 16 के लिए रुपये 4000–100–6000 होगा। निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार संशोधन होगा व तदनुसार ही महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(6) विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

हस्ता/–
सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

नोटः– छ.ग. लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंधित है।